तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए./ 5763 / 2021/ चूरू</u>** **निरंजन बनाम केशरदेवी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>20-4-2026</u>	**एकल पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी श्री धमेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 5 **<u>आदेश</u>** **1–** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। **2–** निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 ता 21 के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत घोषणा व बेदखली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, चूरू न्यायालय में निगरानी मीमों में वर्णित वादग्रस्त आराजी बाबत प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 29–9–2014 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30–10–2014 को प्रतिवादी संख्या 2, 10, 11, 14, 15 व 17 एवं दिनांक 8–12–2014 को प्रतिवादी संख्या 3 से 9 को तामील उपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 से 22 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर उनके विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 8–12–2014 को निरस्त कर समुचित जवाबदेही, साक्ष्य एवं सम्पूर्ण विचारण में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 08–3–2016 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही को यथावत रखने एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश पारित किया। प्रार्थी अपने विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही की हद तक विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 08–3–2016 से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। **3–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस में निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को बताते हुये जाहिर किया गया कि प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 08–12–2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा जवाब आदि बन्द करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। प्रार्थी को उक्त कार्यवाही की जानकारी होते ही एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर जवाब, साक्ष्य व प्रकरण में सुनवाई हेतु भाग लेने बाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया परन्तु इन तथ्यों को बिना देखे प्रार्थी को जवाब, साक्ष्य व प्रकरण में सुनवाई से वंचित करने की मंशा से प्रार्थी की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए./ 5763 / 2021/ चूरू</u>** **निरंजन बनाम केशरदेवी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हद तक प्रार्थना पत्र को खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह न्याय की मंशा के विपरीत होने से आदेश काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वादीगण ने वाद बाबत बेदखली व राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थी का नाम हटा स्वयं का नाम दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हो एवं प्रकरण की स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो तो वह व्यक्ति उपस्थित होकर प्रकरण की आगामी कार्यवाही में भाग लेकर जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही को यथावत रख प्रार्थी को न्याय से वंचित करने का आदेश पारित किया जो कतई न्यायोचित नहीं होकर निगरानी के माध्यम से मण्डल न्यायालय में निहित शक्तियों के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 08–3–2016 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 8–12–2014 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश सही रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 पर विधिवत रूप से उसके लड़के की शादी दिनांक 07–12–2014 से पूर्व दिनांक 06–12–2014 को उसके स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा करवाई गई है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में प्रार्थी निरंजन स्वयं के हस्ताक्षर हैं तथा प्रार्थी की तामील पर केशरदेव व महावीरप्रसाद ने कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं, बल्कि स्वयं तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 08–12–2014 को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 13–08–2015 को पेश किया गया है जबकि विधिनुसार आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी के तहत 30 दिन के भीतर एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 08–03–2016 के लगभग साढ़े 5 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलम्ब से बिना संतुष्टिप्रद व माकल कारण उल्लेखित कर धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदन प्रस्तुत किया है जो कतई स्वीकारयोग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर पूर्ण विचारण उपरान्त प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को यथावत रखा गया है, अतः निर्णय में कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। निगरानी मीमों व अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7– अप्रार्थीगण संख्या–1 से 5 वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में वर्ष 2014 में घोषणा, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत दावे में न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–3 निरन्जन के विरूद्ध सम्मन तामील मानते हुये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए./ 5763 / 2021/ चूरू</u>** **निरंजन बनाम केशरदेवी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय में उसकी अनुपस्थिति पर दिनांक 8–12–2014 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। उसकी तथा अप्रार्थी संख्या–20 से 22 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने के प्रार्थना पत्र दिनांक 13–8–2015 पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 8–3–2016 को प्रार्थी की तामील होना मानते हुये उसके विरूद्ध कार्यवाही यथावत रखते हुये शेष आवेदकों की प्रार्थना विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार की गई। प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में उसकी सम्मन तामीली पर स्पष्ट व पुष्ठ आधार के साथ उजर नहीं लिया गया है। साथ ही निर्णय दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध मण्डल न्यायालय में दिनांक 22–11–2021 को अत्यधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गयी है। मूल दावा वर्तमान में साक्ष्य वादी अवस्था में विचाराधीन है। हमारा मानना है कि वादीगण द्वारा घोषणा, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ प्रार्थी सहित प्रतिवादी संख्या–1 से 9 के विरूद्ध चाही गई है, अतः प्रकरण में प्रार्थी भी हितबद्ध होने के कारण उसे भी दावे में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायसम्मत है। सभी संबंधित पक्षकारों का पक्ष प्रस्तुत होने पर प्रकरण में गुणावगुण पर न्यायसम्मत निर्णय हो सकेगा, अतः हम प्रार्थी के निवेदन को विलम्ब शुल्क पर स्वीकार करना उचित मानते हैं।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के दावा संख्या 91/2014 में प्रार्थी बाबत प्रदत्त निर्णय दिनांक 08–3–2016 को निरस्त कर उसके एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कर जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के प्रार्थना पत्र को 3000/– (तीन हजार रूपये) विलम्ब शुल्क पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी विलम्ब शुल्क विचारण न्यायालय में वादी पक्ष को अदा करे तथा शीघ्र अपना जवाब दावा प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटा दिया जावे। उभय पक्ष प्रकरण की सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी चुरू न्यायालय में दिनांक **<u>19–5–2026</u>** को उपस्थित रहने हेतु सुचित रहें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य